168

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1393-II-15

मोहन पटेल पुत्र रामसुन्दर पटेल
निवासी ग्राम पुरा ३१० तहसील मनगांव
जिला रीवा ।म०प्र०।

---- आवेदक

बनाम

१- बृजभान पटेल पुत्र रामसुन्दर पटेल निवासी ग्राम पुरवा ३१० तहसील मनगांव जिला रीवा ।म०प्र०।

२- श्रीमती लता रावत पत्नी बृजलाल रावत निवासी ग्राम बसौली तहसील मनगवां जिला रीवा ।म०प्र०।

३- श्रीमती सुशीला रावत पत्नी भैयालाल रावत निवासी ग्राम बसौली तहसील मनगवां जिला रीवा ।म०प्र०।

---- अनावेदकगण

श्री रामबोध के शर्मा, अभि०
द्वारा आज दि. 8-6-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० का मय संशोधन अधिनियम २०११ विरुद्ध आदेश दिनांक २५-५-०१५ द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त संभाग प्रकरण क्रमांक ६२४।०१३-१४ बृजभान विरुद्ध मोहन पटेल से दुखी होकर

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला –रीवा

प्रकरण कमांक निग0 1393–दो / 2015

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 624 / अपील / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार मनगंवा वृत्त गढ़, जिला रीवा के रा.प्र. क्रमांक 22 / अ–27 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां जिला–रीवा के यहां अपील पेश की गई । अनुविभगीय अधिकारी ने दिनांक 29.05.2014 को आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 624 / अपील / 2013–14 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 25.05.2015 को आदेश पारित करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को विधि के विपरीत मानते हुये निरस्त किया गया एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई । इसी आदेश के	

विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के मध्य प्रकरण को गुणदोषों के आधार पर निराकृत किया है जिसे न समझकर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार विहित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि विचारण न्यायालय द्वारा एम0पी0 एवं आर0 के प्रावधानों एवं नियम 14 एवं 4 का पालन किया है जिसे अन्देशा कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 2 व 3 के अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । लिखित तर्क में यह बताया है कि, आराजी खसरा क्र0 126/2(ख), रकबा 0.14 ए0, खसरा क्र0 160/1 रकबा 0.07ए0, खसरा क्र0 165/3 रकबा 0.10ए0, ख0क्र0 306/1 रकबा 0.04 ए0, ख0क्र0 364/3 रकबा 0.08ए0, ख0क्र0 382/2 रकबा 0.19 ए0, ख0क्र0 386/1 रकबा 0.29ए0, में 430/1 शा0नं0 498/2 रकबा 0.16 ए0, ख0क्र0 508/2 में शा0नं0 512/2 रकबा 0.14 ए0, ख0क्र0 528/1 रकबा 0.25 ए0, ख0क्र0 530/1 रकबा 0.20 ए0, उपरोक्त भूमियां अनावेदक क्र0 1 द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के विभाजन के बाद अपने स्वयं अर्जित कमाई से दिनांक 5.03.1975 की उक्त भूमियों के

मालिक भूमिस्वामी स्व0 महावीर उर्फ हीरा पिता शंकर कुर्मी ग्राम पुर्वा तह0 मनगवां जिला–रीवा से उपरोक्त भूमियों का विक्रय प्रतिफल विक्रेता को रुपये 1000/– विक्रश प्रतिफल देकर उप पंजीयक रीवा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादित कराया । उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन दिनांक से अनावेदक क्र0 1 भूमियों पर मौके से काबिज होकर काश्त करने लगा और आज भी मौके से काबिज है । उपरोक्त भूमियों में आवेदक का किसी भी प्रकार से हक व हित नहीं था, क्योंकि अनावेदक क्र0 1 ने आवेदक के संयुक्त परिवार के विभाजन हो जाने के बाद उक्त आराजियात को क्रय यिा और अनावेदक क्र0 1 उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रीत भूमियों का अपने नाम का तहसील न्यायालय से अपने नाम नामांतरण आदेश कराये जाने के बाद राजस्व अभिलेख पर बतौर मालिक भूमिस्वामी पट्टेदार के रूप में अनावेदक क्र0 1 का नाम दर्ज होने लगा, जो निरन्तर दर्ज रहा आया । भूमि ख0क्र0 607 रकबा 0.35 एकड़ की भूमि को भी अनावेदक क्र0 1 ने तहसील न्यायालय के समक्ष आदेश के आधार पर अनावेदक क्र0 1 के नाम पर भी राजस्व अभिलेख पर बतौर मालिक भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज होने लगा। आवेदक और अनावेदक क्र0 1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमियां ग्राम पुर्वा–310 जो राजस्व अभिलेख में संयुक्त पट्टेदार के रूप में भूमिस्वामी कॉलम पर नाम दर्ज था व वर्ष 1974 के पूर्व जो मौखिक बटवारा आवेदक और अनावेदक क्र0 1 मौके से

व हिस्सा बराबर बराबर विभाजन के अनुसार मौके से पाटी डालकर काबिज हुये, लेकिन राजस्व अभिलेख पर आवेदक और अनावेदक क्र0 1 का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रहा । खसरा क्र0 139/1 रकबा 0.45 है0, खसरा क्र0 205/1 रकबा 0.53 है0, ख0क्र0 218/1 रकबा 0.036 है0, ख0क्र0 240/1 रकबा 0.24 है0, ख0क्र0 294/1 रकबा 0.028 है0, ख0क्र0 320 रकबा 0.182 है0 , ख0क्र0 369/2 रकबा 0.20 है0, ख0क्र0 387/2 रकबा 0.069 है0, ख0क्र0 406 रकबा 0.036 है0, ख0क्र0 522/1/2 रकबा 0.040 है0, ख0क्र0 526/1 रकबा 0.89 है0 , ख0क्र0 553/2 रकबा 0.061 है0, ख0क्र0 571 रकबा 0.093 है0 , शा0नं0 575, ख0क्र0 394/1 रकबा 0.020 है0, 616/1 रकबा 0.53 है0, स्थित ग्राम पुर्वा 310 तहसील मनगवां जिला रीवा की भूमि पैत्रिक भूमि थी । इन भूमियों के अलावा आवेदक और अनावेदक क्र0 1 की भूमि कोई भी अन्य संयुक्त हिन्दू परिवार की कोई भी पैत्रिक भूमि ग्राम पूर्वा के अलावा नहीं है । आवेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्क में बताया है कि आवेदक ने तहसीलदार मनगवां उप तहसील गंगेव के समक्ष धारा 178/110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत अनावेदक क्र0 1 के विरूद्ध बटवारा एवं खाता विभाजन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । आवेदक के द्वारा उक्त बटवारा आवेदन पत्र में संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति जो पैरा क्र0 2 में वर्णित किया गया है । उक्त पैत्रिक सम्पत्ति के साथ ही उक्त आवेदन–पत्र में आवेदक के द्वारा अनावेदक

क्र0 1 के द्वारा जो भूमियां अपने स्वत्व अर्जित कमाई से उक्त भूमि का विक्रय प्रतिफल विक्रेता को दिये जाने के बाद दिनांक 05.03.1975 को जो विक्रय पत्र निष्पादित कराया था, उक्त विक्रीत भूमियों को भी आवेदक के द्वारा खाता विभाजन के आवेदन–पत्र में संयुक्त सपत्तियां मानकर उनमें भी 1/2 हिस्सा के रूप में बटवारा किए जाने अना0क्र0 1 की स्वअर्जित भूमियों का भी उल्लेख किया जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस आवेदन–पत्र को नायब तहसीलदार ने अपने प्र0क्र0 22/अ–27/2011–12 पर पंजीबद्ध किया और उक्त आवेदन पत्र में मात्र आदेश पत्रिका में दिनांक 17.12.11 को प्रकरण लिया गया, जिसके बाद उक्त आदेश पत्रिका में अनावेदक तलब हो और पेशी दिनांक 17.01.2012 नियत की गयी, फिर दिनांक 17.01.2012 को प्ररकण में जनरल पेश दिनांक 23.01.12 नियत की गई, फिर प्रकरण दिनांक 23.01.12 को लिया गया, फिर पेशी दिनांक 25.01.12 नियत की गई । प्रकरण के आदेश पत्रिका में दिनांक 23.01.12 तक न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका में कही यह उल्लेख नहीं किया कि अनावेदक क्र0 1 को नोटिस जारी की गई फिर दिनांक 25.01.12 को पुनः प्रकरण लिया गया । अनावेदक क्र0 1 नोटिस लेने से इंकार किया, अनावेदक चस्पान्गी नोटिस जारी हो, फिर प्रकरण 15.02.12 नियत किया गया और उक्त दिनांक को प्रकरण लिया गया । अनावेदक को चस्पानगी नोटिस तामील पश्चात प्राप्त अनावेदक के जवाब की प्रतीक्षा की जाये । प्रकरण

आवेदक साक्ष्य एवं अनावेदक के जवाब हेतु दिनांक 22.02.12 नियत किया गया फिर दिनांक 22.02.12 को प्रकरण लिया गया । आदेश पत्रिका में अनावेदक को अनुपस्थित किया गया और आवेदक के गवाह लिये गये और प्रकरण 28.02.2012 को नितय किया गया । दिनांक 28.02.2012 को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई, फिर प्रकरण 01.03.2012 को लिया गया । दिनांक 01.03.2012 को आदेश पत्रिका में हल्का पटवारी द्वारा फर्द बटवारा पुल्ली पेश अनावेदक क्र0 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित और उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । प्रकरण आदेश हेतु नियत 02.03.12 उक्त दिनांक को नायब तहसीलदार के द्वारा बटवारा नामांतरण का आदेश पारित किया गया । उन्होंने प्रथम दृष्टया जब तहसीलदार के विभाजन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था और अपर आयुक्त रीवा ने विधिपूर्ण तरीके से जो आदेश पारित किया है, उस आदेश में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है, जिससे अपर आयुक्त रीवा का आदेश तर्क संगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । विचाराधीन निगरानी खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि आवेदक ने न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष नायब तहसीलदार जिसका आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था, उसको सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, उसी क्षेत्राधिकार विहीन आदेश के संबंध में न्यायालय राजस्व मंण्डल के समक्ष जो चुनौती दी गई है, उसको क्षेत्राधिकार विहीन आदेश प्रचलन न होने से खारिज किये जाने योग्य है और अनावेदक क्र0 1 के

पक्ष में पारित आदेश अपर आयुक्त रीवा के यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक होगा । अतः निगरानी अस्वीकार किया जावे ।

5/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलखों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक मोहन पटेल के द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के बटवारा नामांतरण के संबंध में आवेदन पेश किया गया । तहसीलदार के द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को वैध मानते हुये आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में लेख किया कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में यह विचार नहीं किया कि तहसीलदार के द्वारा जिन भूमियों का बटवारा नामांतरण का आदेश पारित किया गया है, उसमें तहसीलदार के द्वारा अनावेदक को विधिवत सम्मन सूचना की तामीली नहीं कराई गई है । तहसीलदार के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर बटवारा नामांतरण का आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमियों में से सभी भूमि सहखाते की नहीं है ।

कुछ भूमियां अनावेदक के स्वतंत्र खाते की भूमियां है। यह सही है कि अनावेदक व आवेदक सगे भाई है। लेकिन उभय पक्षों का बटवारा पूर्व में हो चुका है, उसी के अनुसार भूमि पर काबिज दखिल है । आपसी हिस्सा बांट के तहत जिन भूमियों का बटवारा होगा, वह सहखाते की भूमि है अथवा पैत्रिक भूमि होना आवश्यक है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन व पटवारी पुल्ली के अनुसार बटवारा पुल्ली में उन भूमियों को भी शामिल किया है जो अनावेदक के स्वतंत्र खाते की भूमि है । अनावेदक के द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा भूमि क्रय किया गया था । बटवारा नामांतरण होने के बाद आवेदक के द्वारा अनावेदक की स्वअर्जित भूमियों को विक्रय किया गया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा अनावेदक के स्वत्व अधिपत्य की भूमियों का नामांतरण बटवारा आवेदक के नाम किया है वह अवैधानिक है । स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 / 109 / 110 में वर्णित नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, इसलिये तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने के कारण निरस्त योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील विचार करते हुये तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया है जो न्यायोचित नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी, मनगवां के प्र0क्र0 58 / अ–27 / 2011–12 में

पारित आदेश दिनांक 29.05.2014 एवं तहसीलदार मनगंवा वृत्त गढ़, जिला–रीवा के प्र0क्र0 22/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 02.03.12 निरस्त किया है । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने इस न्यायालय निगरानी पेश की है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसीलदार के द्वारा अनावेदक के स्वत्व अधिपत्य की भूमियों का नामांतरण बटवारा आवेदक के नाम किया है, वह अवैधानिक है । स्पष्ट है कि तहसीलदार के द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178/109/110 में वर्णित नियमों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, इसलिये तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इस की प्रकरण में पृथक–पृथक धाराओं के अतंर्गत कार्यवाही की गई है । बटवारा नामांतरण में दो पृथक–पृथक कार्यवाही की जाती है। जिनके लिये म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान दिये गये है । जिनके पृथक–पृथक नियम भी बनाये गये है । इस हेतु एक साथ कार्यवाही करना संहिता की मूल भावना के विपरीत है । म0प्र0भू–राजस्व संहिता में पृथक– पृथक धारायें अर्थात् धारा 110 और धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यथावत रखा है । जो कि त्रुटिपूर्ण है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त करने

में कोई भूल नहीं की है । अतः अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 यथावत रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण तहसीलदार को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 110 एवं धारा 178 और उनके अंतर्गत बने नियमों के प्रकाश में विधिवत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य